भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2056

जिसका उत्तर दिनांक 11.07.2019 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2056. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) जी, नहीं । परमाणु ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा इक्विटी निवेश पर्याप्त है ।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) घरेलू निवेश के संबंध में, लोक सभा में दिनांक 29.2.2016 को वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था, "सरकार, नाभिकीय विद्युत उत्पादन में निवेश बढ़ाने के लिए अगले 15 से 20 वर्षों की अवधि हेतु एक व्यापक योजना बना रही है । इस प्रयोजन के लिए निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशों के साथ-साथ प्रतिवर्ष रुपए 3,000 करोड़ तक का बजटीय आबंटन उपलब्ध कराया जाएगा ।"

चूंकि वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) में परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की सूची में रखा गया है, अत: नाभिकीय विद्युत उत्पादन में सीधे विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

******